

प्रमुख घटनाएं और उपलब्धियां

(सितम्बर, 2018)

प्रमुख घटनाएं एवं उपलब्धियां

1. भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (चूँकि संसद का सत्र नहीं चल रहा) के प्रख्यापन के माध्यम से भारतीय चिकित्सा परिषद का अधिक्रमण किया गया है तथा भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के अनुसार एक नई परिषद के गठन तक या राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद के गठन तक या अन्य कोई व्यवस्था किए जाने तक, परिषद की शक्तियां और कार्य शासक मंडल के पास होंगे।
2. माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने 3-7 सितंबर, 2018 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित दक्षिण-पूर्वी एशिया के डब्ल्यूएचओ क्षेत्र की क्षेत्रीय समिति (डब्ल्यूएचओ- एसईएआरओ) के 71वें सत्र की तथा मंत्रियों की गोलमेज बैठक की अध्यक्षता की।
3. माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 25-28 सितंबर, 2018 के दौरान न्यूयार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में क्षयरोग और एनसीडी पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक के दौरान आयोजित अन्य कार्यक्रमों में 25 सितंबर, 2018 को मलेरिया पर मलेरिया भगाओ; 26 सितंबर, 2018 को क्षयरोग के विरुद्ध लड़ना पर यूएस सीडीसी की मेजवानी में आयोजित अन्य कार्यक्रम; 28 सितंबर, 2018 को हर महिला हर बच्चा-उच्च स्तरीय कार्य संचालन दल बैठक इत्यादि शामिल हैं।
संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक के दौरान 27 सितंबर, 2018 को एनसीडी और संबद्ध सतत विकास लक्ष्यों के प्रति उत्कृष्ट योगदान को अभिज्ञात करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को संयुक्त राष्ट्र इंटरएजेंसी कार्य बल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ए.एस. और एम.डी. को भी एनसीडी और संबद्ध सतत विकास लक्ष्यों के प्रति उनके वैयक्तिक योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र इंटरएजेंसी कार्य बल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
4. विविध कॉलेजों/संस्थानों में 8 पीजी (व्यापक विशेषज्ञता) पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करने संबंधी अधिसूचना भी जारी की गई है।
5. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए चिकित्सा कॉलेजों की स्थापना के चरण-I और II के अंतर्गत 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1093.75 करोड़ रुपए का सहायता- अनुदान जारी किया गया है।
6. 'देश में एमबीबीएस सीटे बढ़ाने के लिए वर्तमान राज्य सरकारी/केंद्र सरकारी चिकित्सा कॉलेजों को उन्नत करने' की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत 27 सरकारी चिकित्सा कॉलेजों के लिए 10 राज्यों को 243.00 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान राशि जारी की गई है।
7. नए स्नातकोत्तर विषय प्रारंभ करने और स्नातकोत्तर सीटों में वृद्धि करने हेतु राज्य सरकारी चिकित्सा कॉलेजों के सुदृढीकरण तथा उन्नयन की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत 28 सरकारी चिकित्सा कॉलेजों के लिए 15 राज्यों को 74.0318 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान राशि जारी की गई है।
8. राजस्थान सरकार को नर्सिंग सेवा विकास (वर्तमान नर्सिंग विद्यालयों का नर्सिंग कॉलेज में उन्नयन) योजना के अंतर्गत 5.96 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
9. राजपत्र में निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए हैं:
डीसीआई जांच परीक्षण (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2018;
डीसीआई संशोधित दंत चिकित्सक (नीतिशास्त्र संहिता) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2018;
सतत दंत चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2018; एवं

एमडीएस पाठ्यक्रम (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2018

10. मंत्रालय ने कोच्चि, वाराणसी, श्रीनगर, जलंधर, विशाखापट्टनम और बागपत में केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना आरोग्य केंद्र खोलने के आदेश जारी किए हैं।
11. केंद्र सरकार कर्मचारियों के उपचार के लिए मंत्रालय ने सीएस (एमए) नियम, 1944 के अंतर्गत चुघ नेत्र सर्जरी केंद्र, लुधियाना और विवेकानंद नेत्रालय तथा फाको केंद्र, जलगांव को मान्यता दी है।
12. मंत्रालय ने उन सांविधिक/स्वायत्त निकायों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना सुविधाओं का विस्तार किया है, जिनके सेवारत कर्मचारी केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत पहले से कवर हैं।
13. माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एवं माननीय ब्रेडली रोनाल्ड हेजार्ड, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अनुसंधान मंत्री, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के बीच दिनांक 17 सितंबर, 2018 को नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई।
14. स्वास्थ्य सहयोग पर भारत तथा जर्मनी के बीच 17 सितंबर, 2018 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पहली संयुक्त कार्य-समूह (जेडब्ल्यूजी) बैठक आयोजित की गई।
15. माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा जापान के प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार डॉ. हिरोतो इजुमी के बीच दिनांक 17 सितंबर, 2018 को नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई।
16. कर्नाटक एवं तमिलनाडु में क्रमशः 06 सितंबर, 2018 और 07 सितंबर, 2018 को कारागार तथा अन्य बंद स्थापनाओं में एचआईवी एवं टीबी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। प्रस्तावित एचआईवी/टीबी रोकथाम एवं उपचार सेवाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कर्नाटक एवं तमिलनाडु में इन दोनों कार्यक्रमों के दौरान राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी, कारागार विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सामाजिक रक्षा विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
17. नवाचार समाधान उपलब्ध कराने और देश के खाद्य सुरक्षा तथा पोषण परिदृश्य को बदलने के लिए प्रवर्तकों और स्टार्ट-अप उद्यमियों को साथ लाने हेतु एफएसएसएआई, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने टीआईई दिल्ली एनसीआर खाद्य और खाद्य सेवा सम्मेलन, 2018 के दौरान 'खाद्य प्रवर्तक नेटवर्क (एफआईएनई)' कार्यक्रम प्रारंभ किया था। एफआईएनई 'स्टार्ट-अप इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया' के साथ ही सरकार की एक पहल है।
18. एक पारिस्थितिक तंत्र विकसित करने के उद्देश्य से एफएसएसएआई, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने "स्वच्छ और सुरक्षित मांस" पहल प्रारंभ की है। इससे मांस के उपभोक्ताओं को स्वच्छ और सुरक्षित मांस उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
19. राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत, सितम्बर, 2018 माह में, मोतियाबिंद के लगभग 5.07 लाख ऑपरेशन किए गए, स्कूली बच्चों को 48,578 निःशुल्क चश्मे वितरित किए गए तथा दान की गई 4,173 आँखें एकत्र की गईं।
20. आरएनटीसीपी के तहत भारतीय डाक सेवाओं के माध्यम से एक मुख्य योजना के रूप में 19 सितम्बर, 2018 को नई दिल्ली में लार नमूना परिवहन प्रारंभ किया गया।
